वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार

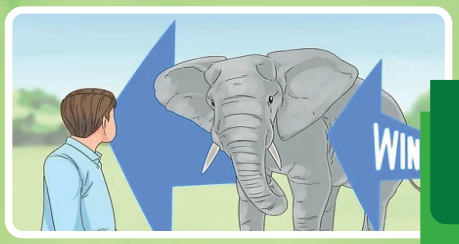
जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर

हाथी और मनुष्य का टकराव, कारण एवं बचने के उपाय



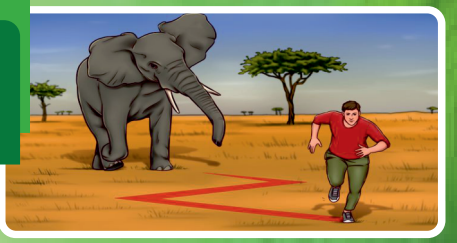
हाथी एवं मनुष्य के बीच टकराव के कारण

1. मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि।
2. वन्यजीव पर्यावास का खण्डन ।
3. हाथी द्वारा हानि पहुँचाय जाने के विरोध प्रतिक्रिया।
4. नये आवास, रेलवें लाईन, बिजली की लाईन के कारण।
5. जल-भोजन एवं सुरक्षित पर्यावास का अभाव।



जिस दिशा से वायु का बहाव हाथी की ओर हो उस दिशा में कभी न खड़ा रहें।

हाथी द्वारा पिछा किए जाने पर सीधी रेखा में मत भागें।

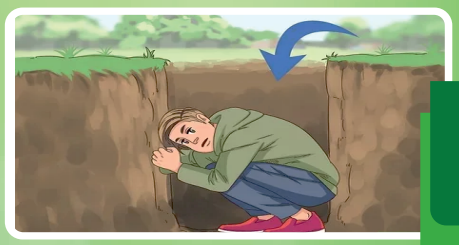




हाथी द्वारा पीछा किए जाने पर किसी भवन, बड़े वाहन, बड़े वृक्ष इत्यादि के पीछे छिप जायें।

हाथी द्वारा पीछा किए जाने पर किसी बड़े एवं मजबुत वृक्ष पर चढ़ जायें।





हाथी द्वारा पीछा किए जाने पर किसी संकीर्ण गड्ढे में शरण ले।

हाथी द्वारा पींछा किए जाने पर यदि अन्य कोई सुरक्षा के उपाय न हो तो जोर जोर से चिल्लाऐं।



वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर

हाथियों से बचने के लिए क्या करें?

1. हाथी आने की सूचना तत्काल निकटवर्ती वन विभाग के कर्मचारियों को दें।

2. यदि हाथी से सामना हो जाय तो तुरंत उसके लिए रास्ता छोड़ें। पहाड़ी स्थानों में सामना होने पर ढलान की ओर दौड़ें, ऊपर की ओर नहीं। सीधे न दौड़कर आड़े-तिरछे दौड़ें, कुछ दूर दौड़ने पर गमछा पगड़ी, टोपी या कोई वस्त्र फेंक दे ताकि कुछ समय तक हाथी उसमें उलझे रहे और आपको सुरक्षित स्थान पर पहुँचने का मौका मिल जाये ।

3. अगर हाथी गाँव में आ ही जाता है तो मशाल के साथ कम से कम आठ -दस लोग मिलकर एक साथ टीना पीटकर उसे भगाने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया में भी हाथी के बहुत नजदीक न जाएँ। हाथी प्रभावित क्षेत्रों के गाँवों में रात्रि में दल बनाकर मशाल के साथ पहरा दें।

4. अगर मचान बनाकर खेत की रखवाली करनी हो, तो मचान ऊँचा बनाए, विशेषकर उसे ऊँचे, मजबूत पेड़ के ऊपर बनायें और उसके नीचे जमीन पर लकड़ी से आग जलाये रखें।

5. हाथी जिस जंगल में दिखे उस क्षेत्र में चारा, जलावन एकत्र करने नहीं जायें। हाथी जिन क्षेत्रों में हो उसके आस-पास के गाँवों में संध्या से प्रात: काल तक आवागमन से बचें।

6. हाथी द्वारा कान खड़े कर, सूंड ऊपर कर आवाज देना, इस बात का संकेत है कि वह आप पर हमला करने आ रहा है। अत: तत्काल सुरक्षित स्थान पर चले जाएं।

7. हाथियों की सुनने की शक्ति अत्याधिक प्रबल होती है। अत: हाथी को भगाने के क्रम में हवा की दिशा का ध्यान रखें।

8. वैज्ञानिक प्रयोग के आधार पर पाया गया है कि मधुमक्खियों के गुनगुनाने की आवाज हाथियों को भगाने में सहायक साबित होती है।

हाथियों से बचने के लिए क्या न करें?

1. हाथी के चारों ओर कौतुहलवश भीड़ न लगायें। हाथियों के चलने दौड़ने की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अत: हाथी से कम से कम 200 मीटर की दूरी बनाये रखें। बच्चों, स्त्रियों एवं वृद्धों को कभी भी हाथी के समक्ष नहीं जाने दें।

2. हाथियों को छेड़े नहीं, विशेषकर उन पर पत्थर, तीर, जलता हुआ टायर या मशाल आदि फेंककर प्रहार न करें। पटाखें आदि के प्रयोग से हाथियों को गुस्सा आ सकता है एवं इससे क्षति की संभावना बढ़ सकती है. अत: इसके प्रयोग से बचें।

3. हाथियों को अनाज अथवा अन्य कोई खाद्य सामग्री न दें, क्योंकि इससे उनकी खाद्य सामग्री के प्रति रुचि बढ़ेगी एवं इस कारण वे मकानों को तोड़कर खाद्य सामग्री प्राप्त करने के प्रयास कर सकते हैं। हाथी प्रभावित क्षेत्र में जिस कमरे में अनाज का भण्डारण हो उसमें न सोयें एवं कुछ दिनों के लिए किसी सुरक्षित जगह पर अनाज को रख दें।

4. क्षेत्र में जबतक हाथी रहे, तबतक हड़िया या देशी शराब, महुआ नहीं बनायें। इसका भंडारण भी न करें। हाथी शराब की ओर आकर्षित होते हैं और प्राप्त करने के उद्देश्य से ये घरों को क्षति पहुँचाते हैं।

5. गर्भवती हथिनी अथवा नवजात शिशु के साथ होने पर हथिनी या उसके झुण्ड को भगाने का प्रयास न करें, उसे थोड़ा समय दें।

6. हाथियों को भगाने के क्रम में श्वेत वस्त्र या लाल वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह रंग उन्हें चिड़चिड़ा बनाता है।

7. हाथी को देखकर पूजा या प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके नजदीक न जायें।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर

जंगली जानवारों द्वारा जान-माल की क्षति मुआवजे के भुगतान राशि

क्र सं	क्षति का प्रकार	मुआवजा राशि का दर
1.	मनुष्य की मृत्यु होने पर	1000000/-
1.A	मनुष्य की मृत्यु होने पर	जंगली जानवरों से मनुष्य की मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को मुआवजा राशि के अतिरिक्त प्रति माह 2,000/- रू० दर से 3 वर्ष तक पेंशन का भुगतान बैंक खाते की माध्यम से किया जायेगा।
2.	मनुष्य के घायल होने पर	
	(क) गंभीर रूप से घायल होने पर	200000/-
	(ख) साधारण / हल्के रूप से घायल होने पर	35000/-
3.	मनुष्य के स्थायी रूप से अपंग होने पर	350000/-
4.	मकान की क्षति	
	(I) पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान	200000/-
	(II) गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकान (कच्चा / पक्का)	
	(क) पक्का मकान	150000/-
	(ख) कच्चा मकान	130000/-
	(III) साधारण रूप से क्षतिग्रस्त मकान	
	(क) पक्का मकान	75000/-
	(ख) कच्चा मकान	60000/-
5.	भंडारित अनाज	3600/- प्रति क्विंटल
	पालतू जानवरों की मृत्यु	
6.	भैंस / गाय / बैल की मृत्यु	
	(क) स्टॉल फीडिंग	60000/-
	(ख) खुले में चरने वाले	30000/-
7.	बछड़ा / बाछी की मृत्यु	10000/-
8.	भेड़ / बकरा / बकरी की मृत्यु	
9.	मुर्गा / मुर्गी की मृत्यु	100/- प्रति पीस अधिकतम 10000/-
10.	फसल की क्षति	
	(क) भूमिधर किसान द्वारा स्वयं फसल उपजाने के मामले में	42000/- प्रति हेक्टर
	(ख) बटाईदार किसानी के मामले में-	
	(i) खेती करने वाले बटाईदार किसान	28000/- प्रति हेक्टर
	(ii) खेत मालिक को-	14000/- प्रति हेक्टर
	(ग) नगदी फसल (Cash Crop)	
11.	वाहन/बर्तन/फर्नीचर की क्षति	
	(क) साईकिल/रिक्शा / बर्तन	5000/-
	(ख) मोटरसाईकिल/स्कूटी/तीन पहिया वाहन/फर्नीचर	15000/-

